उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1

संख्या : 01/2023/315/94-1-2023-312(103)/2015

लखनऊ, दिनांक : 28 फरवरी, 2023

अधिसूचना

आदेश

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रीकरण, विभाग (समूह ''क'' और समूह ''ख'') सेवा नियमावली, 1982 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रीकरण, विभाग (समूह ''क'' और समूह ''ख'') (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

सामान्य **संशोधन**

2- उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रीकरण, विभाग (समूह ''क'' और समूह ''ख'') सेवा नियमावली, 1982 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में उद्देशिका, संक्षिप्त नाम, दीर्घ नाम और परिभाषाओं सहित शब्द (समूह ''क'' और समूह ''ख''), जहॉ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द समूह ''क'' रख दिया जायेगा।

नियम 2 का **संशोधन**
सेवा की प्रास्थिति

3- उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग (समूह''क'') सेवा में समूह''क'' के पद समाविष्ट हैं।

नियम 4 का संशोधन
सेवा का संवर्ग

4- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

<table>
<tr><th>स्तम्भ-1</th><th>स्तम्भ-2</th></tr>
<tr><th>विद्यमान नियम</th><th>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</th></tr>
<tr><td>उपनियम (2)- जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा सदस्य की संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे उल्लिखित है:
<table><tr><th>पद</th><th>स्थायी</th><th>अस्थायी</th></tr></table></td><td>उपनियम (2)- जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे उल्लिखित है :
<table><tr><th rowspan="2">क्रमांक</th><th rowspan="2">पद का नाम</th><th colspan="3">पदों की संख्या</th></tr><tr><th>स्थायी</th><th>अस्थायी</th><th>कुल</th></tr></table></td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक	**15**	**05**
2. उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक	.....	10
3. अपर रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक	01	.....

परन्तु राज्यपाल-

(क) किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड. सकते हैं या उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(ख) समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

1-	सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक	92	--	92
2-	उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक	23	--	23
3-	अपर रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक	02	--	02

परन्तु यह कि राज्यपाल-

(क) किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड. सकते हैं या उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(ख) समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

नियम 5 का **संशोधन**

5- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

भर्ती का स्रोत

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम 5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :	नियम 5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :
(1) सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक- आयोग के परामर्श से स्थायी उप रजिस्ट्रारों में से, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा; परन्तु ऐसे व्यक्ति जो समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सर्विस आफ इन्सपेक्टर आफ स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन रूल्स,1942 के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र थे और जिन्हें इस नियमावली के प्रवर्तन के पूर्व सेवा में निरीक्षक के रूप में अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो, इस नियमावली के प्रवर्तन के पूर्व सेवा में	**(1) सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक-** 'अनुपयुक्त' को अस्वीकार करते हुए 'ज्येष्ठता' के आधार पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप रजिस्ट्रारों में से जिन्होंने चयन वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	होने वाली रिक्तियों के प्रति नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।		
(2) उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक-	स्थायी सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के द्वारा।	**(2) उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक-**	अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षकों में से, जिन्होंने चयन वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष कि सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(3) अपर रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक-	उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षकों में से योग्यता के आधार पर पदोन्नति के द्वारा।	**(3) अपर रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक-**	योग्यता के आधार पर मौलिक रूप से नियुक्त उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षकों में से, जिन्होंने चयन वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

नियम 6 का संशोधन

आरक्षण

6- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम 6- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

नियम 7 का संशोधन

सहायक रजिस्ट्रीकरण

7- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	नियम 7- सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर संशोधित उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से परामर्श पदोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार योग्यता के आधार पर की जायेगी।	सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक एवं उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित पदोन्नति उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जाएगी। टिप्पणी-चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जाएगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूची समय-समय पर यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता-सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र

http://shasanadesh

	पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। (3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि आवश्यक समझे, तो वह अभ्यार्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती हैं। (4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियम 8 का संशोधन

8- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

अन्य पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम-8(1) उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक और अपर रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (एक) सचिव, कार्मिक विभाग। (दो) सचिव, संस्थागत वित्त विभाग। (तीन) रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक। ज्येष्ठ सचिव, समिति का अध्यक्ष होगा।	अपर रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित पदोन्नति उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जाएगी।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	टिप्पणी-चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जाएगा।
(2) सचिव, अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।	(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूची समय-समय पर यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता-सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।
(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और, यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।	(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि आवश्यक समझे, तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती हैं।
(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम 9 का **संशोधन नियुक्ति**

9- उक्त् नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम 9-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉ उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 7 या 8 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों। (2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम(1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियॉ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में नियुक्तियॉ कर सकता है। ऐसी नियुक्तियॉ एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगी।	नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 7 या 8 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्ति करेगा।

नियम 10 का निकाला जाना **परिवीक्षा**

10- उक्त् नियमावली में, विद्यमान नियम 10 निकाल दिया जायेगा।

नियम 11 का निकाला जाना **प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा**

11- उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 11 निकाल दिया जायेगा।

नियम 12 का निकाला जाना **स्थायीकरण**

12- उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 12 निकाल दिया जायेगा।

नियम 13 का निकाला जाना **ज्येष्ठता**

13- उक्त् नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिए गए विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 13- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उसकी पदोन्नति की गयी।	सेवा में किसी भी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

नियम 14 का संशोधन

14- उक्त् नियमावली में, नीचे स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

वेतनमान

<table>
<tr><th>स्तम्भ-एक
विद्यमान नियम</th><th>स्तम्भ-दो
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</th></tr>
<tr><td>नियम 14 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
(2)- इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिया गया है :
पद — वेतनमान
(एक) सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक - 850-40-1050-द0रो0-50-1300-60-1420-द0रो0-60-1720 रूपया।
(दो) उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक - 1250-50-1300-60-1600-द0रो0-60-1900-75-2050 रूपया।
(तीन) अपर रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक - 1360-60-1720-द0रो0-60-1900-75-2125 रूपया।</td><td>(1) 14 सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिया गया है :
<table><tr><th>पद का नाम</th><th>वेतन मैट्रिक्स</th></tr><tr><td>(1) सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक -</td><td>स्तर-11 रू० 67,700 - 2,08,700</td></tr><tr><td>(2) उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक -</td><td>स्तर-12 रू० 78,800 - 2,09,200</td></tr><tr><td>(3) अपर रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक -</td><td>स्तर-13 रू० 1,23,100 -2,15,900</td></tr></table></td></tr>
</table>

नियम 15 का निकाला जाना

15- उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 15 निकाल दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

परिवीक्षा के
दौरान वेतन

नियम 16 का निकाला जाना

16- उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 16 निकाल दिया जायेगा।

दक्षता रोक पार करने के मानदण्ड

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-01/2023/315/94-1-2023-312(103)/2015 दिनांक : 28 फरवरी, 2023

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 28 फरवरी, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रमोद कुमार उपाध्याय
विशेष सचिव।

संख्या-01/2023/315/94-1-2023-312(103)/2015 दिनांक : 28 फरवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
4- समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उ0प्र0।
5- समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
6- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
7- गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- भाषा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/2023/315/94-1-2023-312(103)/2015 dated : 28 Februar, 2023.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
STAMP AND REGISTRATION
SECTION-1

Notification
Miscellaneous

No. 01/2023/315/94-1-2023-312(103)/2015

Lucknow, Dated : 28 February, 2023

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Stamps and Registration Department (Group A and Group B) Service Rules, 1982:

Short title and commencement 1- (1) These rules may be called the The Uttar Pradesh Stamps and Registration Department (Group A and Group B) (First Amendment) Service Rules, 2022.

(2) They shall come into force at once.

General Amendment 2- In the Uttar Pradesh Stamps and Registration Department (Group A and Group B) Service rules 1982 herein after referred as said rules, for the word (Group A and Group B) wherever occurring including the preamble, the Short, long title and Definitions the word Group A shall be substituted.

Amendment of rule 2. 3- In the said rules for existing rule 2 as set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Status of Service

Column-1 Existing rule	Column-2 Rules as hereby subsituted
The Uttar Pradesh Stamps and Registration Department (Group A and Group B) Service comprises Group A and Group B posts.	The Uttar Pradesh Stamps and Registration Department (Group A) Service comprises Group A posts.

Amendment of rule 3. 4- In the said rules for existing sub-rule (m) of rule 3 for the as set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Definition

Column-1 Existing rule	Column-2 Rules as hereby subsituted
"Service" means the Uttar Pradesh Stamps and Registration Department (Group 'A' & Group 'B') Service.	"Service" means the Uttar Pradesh Stamps and Registration Department (Group 'A') Service.

Amendment of rule 4. 5- In the said rules for existing sub-rule (2) of rule 4 for the as set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Cadre of Service

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><th>Column-1
Existing rule</th><th>Column-2
Rules as hereby subsituted</th></tr>
<tr><td>Sub-rule (2)- The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders verifying the same are paused under sub-rule (1), be as mentioned below :
<table><tr><th>Post</th><th>Permanent</th><th>Temporary</th></tr><tr><td>1. Assistant Inspector General of Registration</td><td>15</td><td>5</td></tr><tr><td>2. Deputy Inspector General of Registration</td><td>_____</td><td>10</td></tr><tr><td>3. Additional Inspector General of Registration</td><td>1</td><td>_____</td></tr></table>
Provided that The Governor may:
(a) leave unfilled or hold in abeyance any vacant post without therby entitling any person to compensation; or
(b) creat such additional permanent or temporary posts from time to time, as he may consider proper.</td><td>Sub-rule (2)- The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders verifying the same are passed under sub-rule (1), be as mentioned below :
<table><tr><th rowspan="2">S. No</th><th rowspan="2">Post</th><th colspan="3">Number of posts</th></tr><tr><th>Permanent</th><th>Temporary</th><th>Total</th></tr><tr><td>1.</td><td>Assistant Inspector General of Registration</td><td>92</td><td>-</td><td>92</td></tr><tr><td>2.</td><td>Deputy Inspector General of Registration</td><td>23</td><td>-</td><td>23</td></tr><tr><td>3.</td><td>Additional Inspector General of Registration</td><td>02</td><td>-</td><td>02</td></tr></table>
Provided that The Governor may:
(a) leave unfilled or hold in abeyance any vacant post without therby entitling any person to compensation; or
(b) creat such additional permanent or temporary posts from time to time, as he may consider proper.</td></tr>
</table>

Amendment of rule 5.

Source of recruitment

6- In the said Rules, for existing rule (5) as set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

<table>
<tr><th>Column-1
Existing rule</th><th>Column-2
Rules as hereby substituted</th></tr>
<tr><td>5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :
(1) Assistant Inspector General of Registration. — By promotion in consultation with the Commission on the basis of merit from amongst permanent Sub-Registrars:
Provided that persons who were eligible for appointment to the service under the Uttar Pradesh service of inspector of stamps and Registration rule, 1942 as amended from time to time, and have been appointed temporarily or on an adhoc basis as Inspectors in the Service prior to the enforcement of these rules shall be eligible for appointment against the vacancies in the service occurring prior to the</td><td>5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :
(1) Assistant Inspector General of Registration. — By promotion, through departmental selection committee on the basis of seniority subject to rejection of the unfit from amongst substan -tively appointed Sub-Registrars, who have completed ten years of service as such on the first day of July of the selection year.</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	enforcement of these rules.		
(2) Deputy Inspector General of Registration	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of the unfit from amongst permanent Assistant Inspectors General of Registration.	(2) Deputy Inspector General of Registration	By promotion, through departmental selection committee on the basis of seniority subject to rejection of the unfit from amongst substantively appointed Assistant Inspectors General of Registration, who have completed five years of service as such on the first day of July of the selection year.
(3) Additional Inspector General of Registration	By promotion on the basis of merit from amongst permanent Deputy Inspectors General of Registration.	(3) Additional Inspector General of Registration	By promotion through selection committee on the basis of merit from amongst substantively appointed Deputy Inspectors General of Registration, who have completed two years of service as such on the first day of July of the selection year.

Amendment of rule 6.
Reservation

7- In the said rules for existing rule 6 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rules as hereby substituted
Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.	Reservation for the Physically Handicapped candidates shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Amendment of rule 7.
Procedure for recruitment by promotion to the post of Assistant Inspector General of Registration.

8- In the said rules for existing rule 7 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rules as hereby substituted
Recruitment by promotion to the post of Assistant Inspector General of Registration shall be made on the basis of merit in accordance with Public	(1) Recruitment by promotion to the post of Assistant Inspector General of Registration and Deputy Inspector General of Registration shall be made

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Service Commission (Procedure) Rules, 1970 as amended from time to time.	on the basis of criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the purview of the service commission Rules, 1992, as amended from time to time. NOTE-Nomination of officers for giving representation to the scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the selection Committee shall be made in accordance with the order made under section-7 of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled castes, Scheduled Tribes and other Backward classes) Act 1994, as amended from time to time. (2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility list rules 1986, as amended from time to time, and place the same before the selection committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper. (3) The selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

Amendment of rule 8. **Procedure for recruitment by promotion to other posts.**

9- In the said rules for existing rule 8 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rules as hereby substituted
8(1) For the purpose of recruitment by promotion to the post of Deputy Inspector General of Registration and Additional Inspector General of Registration their shall be constituted Selection Committee comprising; (i) The Secretary, Department of Personnel; (ii) The Secretary, Institutional Finance Department; (iii) The Inspector General of Registration; The Senior Secretary shall be the Chairman of Committee.	8(1) Recruitment by promotion to the post of Additional Inspector General of Registration shall be made on the basis of criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the purview of the service commission Rules, 1992, as amended from time to time. NOTE- Nomination of officers for giving representation to the scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the selection Committee shall be made in accordance with the order made under section-7 of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled castes, Scheduled Tribes and other Backward classes) Act 1994, as amended from time to time.
(2) The Secretary shall prepare an eligibility list of the candidates, arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee	(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

alongwith their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper.	posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility list rules 1986, as amended from time to time, and place the same before the selection committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.
(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.	(3) The selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.
(4) The selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward tha same to the appointing authority.	(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

Amendment of rule 9. **Appointment**

10- In the said rules for existing rule 9 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rules as hereby substituted
(1) The appointment authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule-7 or 8, as the case may be. (2) The appointing authority may, make appointments in temporary or officiating vacancies also from the lists referred to in sub-rule (1). If no candidate borne on these list is available, he may make appointments in such vacancies from persons eligible for appointment under these rules such appointments shall not last for a period exceeding one year or the next selection under these rules, whichever be earlier.	The appointment authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule-7 or 8, as the case may be.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Omission of rule 10.

11- In the said rules the existing rule-10 shall be omitted.

Probation

Omission of rule 11.

12- In the said rules the existing rule-11 shall be omitted.

Training & Departmental Examination

Omission of rule 12.

13- In the said rules the existing rule-12 shall be omitted.

Confirmation

Amendment of rule 13.

Seniority

14- In the said rules the existing rule-13 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rules as hereby substituted
The seniority inter-se of persons appointed to the various categories of posts in the service, by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.	The seniority of the persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.

Amendment of rule 14.

Pay Scale

15- In the said rule for existing rule 14 as set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1
Existing rule

(1) The scales of pay admissible to persons appointed to various categories of posts in the Service, whether in substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are as given below:-

Post	Scales of pay
(1) Assistant Inspector General of Registration-	Rs.850-40-1050-E.B.-50-1300-60-1420-E.B.-60-1720
(2) Deputy Inspector General of Registration	Rs.1250-50-1300-60-1600-E.B.-60-1900-75-2050
(3) Additional Inspector General of Registration	Rs.1360-60-1720-E.B.-60-1900-75-2125

Column-2
Rules as hereby substituted

(1) The scales of pay admissible to persons appointed to various categories of posts in the Service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given as follows :

Name of posts	Pay matrix
(1) Assistant Inspector General of Registration	Level – 11 Rs. 67,700-2,08,700
(2) Deputy Inspector General of Registration	Level – 12 Rs. 78,800-2,09,200
(3) Additional Inspector General of Registration	Level – 13 Rs. 1,23,100-2,15,900

Ommission of rule 15.

Pay during probation

16- In the said rules existing rule 15 shall be omitted.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Ommission of rule 16. **Criteria for crossing efficiency bar**	17-	In the said rules existing rule 16 shall be omitted.

By Order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।